Result Mitra Daily Magazine

PAN 2.0 परियोजना

➢ हालिया संदर्भ :

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने PAN (Permanent Account Numbers) को "व्यवसायों के लिए सामान्य पहचानकर्ता" बनाने और इसे डेटा स्थिरता का एकल स्रोत बनाने के लिए सोमवार (25 नवंबर) को PAN 2.0 परियोजना को मंजूरी दी है।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी दी गई परियोजना PAN 2.0 के अंतर्गत आयकर विभाग द्वारा जारी 10 अंकीय अल्फान्यूमैरिक स्थायी खाता संख्या (PAN) को अपग्रेड करने के लिए निर्धारित किया है।
- PAN 2.0 परियोजना एक पूरी तरह से ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, जिसके तहत सभी नए और पुराने स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्डों में एक क्यूआर (QR) कोड शामिल किया जाएगा।
- इस परियोजना के तहत सभी PAN कार्ड धारकों का डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए "डेटा वॉल्ट सिस्टम" के साथ कार्ड को अपग्रेड किया जाएगा।
- इस परियोजना के तहत स्थायी खाता संख्या (PAN) कार्ड को पहचान और उनसे संबंधित जानकारी के लिए मजबूत स्रोत के रूप में तैयार किया जाना है क्योंकि PAN कार्ड को आधार संख्या से पहले ही जोड़ा जा चुका है।
- वर्तमान में भारत में कुल PAN कार्ड धारकों की संख्या लगभग 78 करोड़ हैं, जिन्हें PAN 2.0 परियोजना के तहत अपग्रेड किया जाना है।
- मौजूदा PAN कार्ड धारकों के PAN वही रहेगा, लेकिन उसे अपग्रेड कराने की आवश्यकता है, जो उपयोगकर्ताओं के लिए नि:शुल्क है।

➢ PAN 2.0 परियोजना क्या है ?

- PAN 2.0 परियोजना को जारी करते हुए केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस परियोजना के तहत मौजूदा PAN सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड करके इसे आईटी (IT, Information Technolo) के रीढ़ के रूप में तैयार किया जाएगा तथा PAN को निर्दिष्ट सरकारी एजेंसियों की सभी डिजिटल प्रणालियों के लिए एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में तैयार किया जाएगा।
- अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उद्योगों के लिए एक सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता रखने की मांग लगातार की जा रही थी, जिसे ध्यान में रखते हुए इस परियोजना के तहत एक ही PAN को सामान्य व्यवसाय पहचानकर्ता के रूप में बनाने का काम किया जाएगा।
- इसके अलावा इस परियोजना के तहत सभी PAN/TAN/TIN को एकीकृत किया जाएगा।
- TAN = Tax Deduction and Collection Account Number (कर कटौती और संग्रह खाता संख्या)
- TIN = Tax Payer Identification Number (करदाता पहचान संख्या)
- अभी तक भारत में हर व्यवसाय के लिए एक 11 अंकीय संख्या आयकर विभाग द्वारा प्रदान किया जाता है, जिसे TIN (Tax Payer Identification Number) या करदाता पहचान संख्या कहा जाता है।
- TIN संख्या से कर अधिकारियों और सरकारी एजेंसियों को व्यवसायों की पहचान और सत्यापन के लिए आवश्यक होता है।
- PAN कार्ड की तरह TAN (Tax Deduction and Collection Account Number) को भी कर विभाग द्वारा जारी किया जाता है।
- TAN कार्ड उन लोगों के लिए जारी किया जाता है जो Tax की कटौती या जमा करते हैं।

➢ PAN 2.0 की विशेषताएं क्या है ?

- PAN 2.0 परियोजना का मुख्य उद्देश्य सभी नए और मौजूदा पैन कार्ड धारकों के लिए क्यूआर कोड सुविधा उपलब्ध कराना है।
- PAN 2.0 परियोजना का लक्ष्य पैन डेटा का उपयोग करने वाली संस्थाओं के लिए "अनिवार्य पैन डेटा वॉल्ट सिस्टम" के साथ एक एकीकृत पोर्टल स्थापित करना है।
- "अनिवार्य डेटा वॉल्ट सिस्टम" डेटा सुरक्षा और साइबर सुरक्षा उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।
- PAN से संबंधित जानकारी का उपयोग बैंक, बीमा कंपनियों जैसी संस्थाओं में किया जाता है।
- अतः ऐसी संस्था जो अपने उपभोगकर्ता से PAN का विवरण लेते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से "डेटा वॉल्ट सिस्टम" के माध्यम से PAN डेटा को सुरक्षित रखना होगा।

Result Mitra

- मौजूदा PAN सॉफ्टवेयर 15–20 वर्ष पुराना है, इसलिए इस परियोजना के तहत एक एकीकृत पोर्टल बनाया जाएगा, जो पूरी तरह से ऑनलाइन होगा एवं शिकायत निवारण प्रणाली के रूप में भी काम करेगा।

➢ व्यक्तियों और व्यवसायों के लिए इसका क्या अर्थ है ?

- मौजूदा PAN कार्ड धारकों को PAN 2.0 कार्ड के लिए अपग्रेड करने का विकल्प होगा, हालांकि इसके लिए आवेदन प्रक्रिया और समय सीमा का विवरण आयकर विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया है।
- नए और पुराने PAN कार्ड को QR–कोड सुविधा से लैस करने का उद्देश्य कर विभाग के साथ उपयोगकर्ताओं के वित्तीय लेनदेन के एकीकरण का उन्नत स्तर तैयार करना है।
- PAN कार्ड में QR–कोड को वर्ष 2017 में ही पेश किया गया था।
- जिन PAN कार्ड धारकों के पास बिना QR–कोड वाला PAN कार्ड है, उनके पास QR कोड वाले नए कार्ड के लिए आवेदन करने का विकल्प है, जो पूरी तरह से ऑनलाइन है।
- विभिन्न व्यवसायों के लिए PAN 2.0 परियोजना के तहत विभिन्न कर चालान और रिटर्न दाखिल करने के लिए एक निर्बाध सामान्य प्रणाली होगी।

➢ PAN और TAN की मौजूदा पहचान संख्या क्या है ?

- PAN दस अंकों का अल्फान्यूमैरिक संख्या है, जो आयकर विभाग द्वारा किसी व्यक्ति के सभी लेनदेन को आयकर विभाग के साथ जोड़ने में सक्षम बनाता है।
- इस लेनदेन में कर भुगतान, TDS (Tax Deducted at Source) स्रोत पर कर कटौती, स्रोत पर कर संग्रहित (TCS, Tax Collection at Source) आय का रिटर्न शामिल है।
- अतः PAN कर विभाग वाले व्यक्ति के लिए एक पहचानकर्ता के रूप में कार्य करता है।
- एक बार किसी व्यक्ति को PAN आवंटित होने के बाद यह हमेशा के लिए बना रहता है।
- PAN की तरह TAN भी आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है, जो 10 अंकों का अल्फान्यूमैरिक नंबर होता है।
- TAN का तात्पर्य कटौती और संग्रह खाता संख्या होता है।
- स्त्रोत पर कर की कटौती या संग्रहण के लिए जिम्मेदार सभी व्यक्तियों को TAN प्राप्त करना आवश्यक होता है।
- TAN का उपयोग TDS/TCS रिटर्न, किसी भी TDS/TCS भुगतान चालान, TDS/TCS प्रमाण पत्र के लिए अनिवार्य होता है।

Result Mitra